न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–36/2018–19

श्रीमती रीना देवी एवं अन्य..अपीलार्थी

बनाम

झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, बुण्डू, राँची..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
28.07.18		

अपीलार्थी (1) श्रीमती रीना देवी, पति–श्री दिगम महतो, (2) श्रीमती अरूणा देवी, पति–श्री गणपति मेहता, दोनों ग्राम–दुलमी, डाकघर–लोवाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, (3) श्रीमती छीती देवी, पति–अजीत महतो, ग्राम+पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–333 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–23/04/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/0028	799	404	08 डीसमील
			405	0.25 डीसमील
			406	02 डीसमील
			407	0.75 डीसमील
			408	01 डीसमील
			409	1.5 डीसमील

अपीलार्थीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थियों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि को विक्रेता–बैजनाथ महतो, पिता–स्व० शशि महतो, ग्राम–कटहर टोली, बुण्डू पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची से दिनांक–05/05/2016 को क्रय किया। क्रय करने के उपरांत उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज हुए एवं केवाला पट्टा प्राप्त कर अंचल कार्यालय, बुण्डू में नामांतरण हेतु आवेदन दिया। उक्त आवेदन में पट्टा के अनुसार अरूणा देवी एवं छीती देवी का सही/ठेपा नहीं था जिसके कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–333 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–23/04/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित निबंधन पट्टा सं०–162 दिनांक–05/05/2016 में आवेदित भूमि के क्रेतागण श्रीमति रीना देवी, पति–दिगम मेहता वो श्रीमति अरूणा देवी पति–गणपति मेहता एवं श्रीमति छीती देवी, पति–श्री अजीत महतो द्वारा जमीन खरीदी गई है, जबकि ऑनलाईन आवेदन में सिर्फ श्रीमती रीना देवी, पति–दिगम मेहता का नाम दर्ज है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थियों द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोंपरांत ज्ञात होता है कि ऑनलाईन आवेदन में सभी क्रेताओं का नाम दर्ज नहीं होने के कारण नामंतरण अस्वीकृत किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि ऑनलाईन आवेदन में संशोधन उपरांत अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

28/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

28/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।